

## जनहित धार्मिका (PIL)


सामाजिक हित के लिए →

- बच्चों / महिलाओं
- अनुसूचित जाति
- मजदूर

न्यायिक सक्रियता / अति सक्रियता



शक्ति प्रवर्धन



न्यायिक सक्रियता

↳ कार्यपालिका को आदेश


↳ बदल शाह केस से - मुआवजा देने की मांग

↳ चुनाव सुधार


↳ चार धाम परियोजना

↳ विमोद्रीकरण


## अनुच्छेद - 33



लोकव्यवस्था बनाए रखने वाले पदाधिकारी,



आसूचना और काउन्टर आसूचना,



→ इन सबकी अपनी संचार प्रणाली होती हैं।

## अनुच्छेद - 34

यदि देश के किसी एक भाग में या समूचे देश में सैन्य शासन (मार्शल लॉ) लागू है तो इसे बनाने रखने के लिए तैनात पदाधिकारियों को हट दी जायगी।

इन पदाधिकारियों के द्वारा किये गये कार्य को याद दिलाया जाये व उनको वैधानिक बनाया जा सकता है।

⇒ संसद ने इसके लिए Armed forces special Power Act, 1958 (AFSPA) बनाया है।